

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक:- प 10 (507) परि/पी.डी./2010

जयपुर दिनांक 21-2-11

कार्यालय आदेश


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 1 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (बी) एवं गृह (ग्रुप-6) विभाग के आदेश क्रमांक 3(25) गृह-6/2006 दिनांक 03.05.2007 की अनुपालना में पूर्व आदेश समसंख्यक दिनांक 28.05.2007 द्वारा जारी कार्यालय आदेश अतिक्रमण में विभागीय मैनुअल सर्व साधारण की जानकारी हेतु एतद्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है।

विभागीय मैनुअल की प्रति विभाग की वेब-साइट, मुख्यालय एवं सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।


परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
6. निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (कृपया सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करें)।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर।
8. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
9. राज्य/सहायक लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय।
10. उप शासन सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को सूचनार्थ।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (समस्त), राजस्थान।
12. जिला परिवहन अधिकारी (समस्त), राजस्थान।
13. रक्षित प्रत्रावली
14. नोटिस बोर्ड विभाग मुख्यालय।


शासन उप सचिव (मु.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत
विभागीय मैनुअल

1. मैनुअल का उद्देश्य:-

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के तहत परिवहन विभाग में होने वाले कार्यों की सूचना एवं प्रक्रिया से जन साधारण को अवगत कराने के लिए इस हस्तपुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तिका में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों एवं उनके द्वारा सम्पादित कर्तव्यों का ब्यौरा तथा विभाग, में जिन अधिनियम, नियम के तहत कार्य संचालन होता है, की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

2.1 विभाग का संगठन, उद्देश्य एवं कार्य :-

परिवहन विभाग के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 राजस्थान मोटरयान नियम 1990, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951, राजस्थान नौकायान विनियमन अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान नौकायान विनियमन नियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय गतिविधियाँ एवं कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

2.2 विभाग के उद्देश्य

राज्य में मोटरयानों/नौकायानों के नियमन, नियंत्रण, पंजीयन एवं नवीनीकरण, करारोपण एवं कर वसूली, चालकों एवं परिचालकों को लाईसेंस एवं उनका नवीनीकरण करने, जनसुविधा हेतु नवीन मार्गों को प्रारम्भ करना एवं पुराने मार्गों का विस्तार, वाहनों का निरीक्षण, जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोटरयानों, टैक्सियों, भार वाहनों आदि को अनुज्ञापत्र प्रदान करना, राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आदि कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु विभाग का गठन किया गया है।

2.3 विभाग का संगठन

परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त हैं, विभाग के मुख्यालय पर एवं अधीनस्थ कार्यालयों पर संरचना निम्न प्रकार है :-

(क) मुख्यालय की संरचना : सारणी 1 में अंकित की गयी है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय :

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों का गठन -

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर - इनके नियंत्रण में निम्नांकित हैं :-

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (3)
2. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (गैर परिवहन)
3. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (लाईसेंस)
4. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (मंजिली वाहन)
5. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, (यात्री वाहन)
6. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, (माल वाहन)
7. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (प्रवर्तन)
8. जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर (कोटपूतली)

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं :-

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर (2)
3. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर
4. जिला परिवहन अधिकारी, टोंक
5. जिला परिवहन अधिकारी नागौर
6. जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं :-

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, अलवर (2)
3. जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
5. जिला परिवहन अधिकारी, शाहजहाँपुर

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं :-

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (2)
2. जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) जोधपुर
3. जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी (रिट्स) जोधपुर
5. जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जोधपुर
6. जिला परिवहन अधिकारी (जैसलमेर)
7. जिला परिवहन अधिकारी (बाड़मेर)

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा के नियंत्रण में निम्नांकित हैं :-

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, कोटा
3. जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, कोटा
4. जिला परिवहन अधिकारी, रामगंज-मण्डी
5. जिला परिवहन अधिकारी, बारा
6. जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़
7. जिला परिवहन अधिकारी, बून्दी

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर
3. जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, बीकानेर
4. जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़
5. जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर (3)
3. जिला परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, उदयपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द
5. जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर
6. जिला परिवहन अधिकारी, रतनपुर
7. जिला परिवहन अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा
3. जिला परिवहन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी, करौली

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, सीकर
3. जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनुं
4. जिला परिवहन अधिकारी, चुरू

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पाली के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, पाली
3. जिला परिवहन अधिकारी, जालौर
4. जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़ के नियंत्रण में निम्नांकित हैं : -

1. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1)
2. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़
3. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा
4. जिला परिवहन अधिकारी, प्रतापगढ़

(ग) निम्न स्थानों पर राजस्व प्राप्ति हेतु कर संग्रह केन्द्र स्थापित हैं :-

- | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1. गोनेड़ा | 13. सीमलवाड़ा | 25. जुरेहरा / कामां |
| 2. नावताँ की ढाणी | 14. निम्बाहेड़ा | 26. चम्बल ब्रिज |
| 3. नौगांवा | 15. मोना डूंगर | 27. मंडार |
| 4. नारेडाकलां | 16. पक्का बाग (भरतपुर) | 28. आबूरोड |
| 5. बहज | 17. आकेड़ा मोड़ (अलवर) | 29. मंडारडी |
| 6. बरेठा | 18. पिलोद | 30. इकलेरा / तीनधार |
| 7. मावल | 19. पीपली | 31. साधूवाली |

8. माखूपुरा	20. भिवाड़ी-धारुहेड़ा	32. संगरिया
9. रायपुर	21. भिवाड़ी-तावडू	33. रतनपुर
10. राजगढ़	22. शाहजहॉपुर	34. गोमानामोड़
11. पतली	23. राह	35. प्रतापगढ़
12. भादरा	24. ऊँचा नंगला	36. दानपुर
		37. धिलावटी
		38. राठीवास

3 विभाग के अधिकारियों की शक्तियां एवं दायित्व

क्र.सं.	अधिकारी	शक्तियां एवं दायित्व
1.	शासन सचिव	विभाग के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप नीति निर्धारण, विभागीय कार्य-कलापों एवं गतिविधियों का सुचारु रूप से संचालन पर्यवेक्षण निगरानी एवं नियंत्रण। विभाग से सम्बन्धित कानूनों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य निष्पादन।
2.	परिवहन आयुक्त	विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों का राज्य स्तर पर समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान करना।
3.	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	विभाग के कार्य एवं दायित्वों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्देशन तथा नये मार्गों की अनुमति प्रदान करना।
4.	अतिरिक्त आयुक्त (सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 के तहत कार्य करना एवं विधिक शाखा का नियंत्रण।
5.	अतिरिक्त आयुक्त (सड़क सुरक्षा) (प्रदूषण नियंत्रण)	कर शाखा, नियम व प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा शाखा का कार्य का नियंत्रण।
6.	वित्तीय सलाहकार	बजट एवं लेखा से सम्बन्धित मामलों के लिए विभाग के प्रभारी अधिकारी।
7.	उपायुक्त (यो.वि. एवं आरहण वितरण)	योजना विकास, सांख्यिकी, सूचना का अधिकार, जांच शिकायत, डी.पी.सी. एवं प्रदूषण नियंत्रण।
8.	उपायुक्त (नियम एवं राष्ट्रीयकरण)	नियम, परिवहन निगम, राष्ट्रीयकरण, अतिरिक्त सचिव आर.टी.ए./एस.टी.ए.।
9.	उपायुक्त (कर)	कर, हाई सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा वेईंग ब्रिज, एस.टी.ए.टी. एवं रीविजन, प्रोजेक्ट।
10.	उपायुक्त (आधुनिकीकरण)	कम्प्यूटरीकरण, राज्यों में पारस्परिक करार, टोहास प्रोटोटाइप, आधुनिकीकरण, भवन निर्माण, ड्राइविंग ट्रेक।
11.	उपायुक्त (रिट्स)	रिट शाखा, उच्च न्यायालय, जयपुर एवं सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।

12.	उपायुक्त (रिट्स) मुख्यालय, जोधपुर	रिट सम्बन्धी कार्य, (उच्च न्यायालय, जोधपुर) एवं सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।
13.	उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)	स्थापना संबंधित कार्य (ए.सी.आर., डी.पी.सी. तथा शिकायत एवं जांच के अतिरिक्त) राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न, सामान्य शाखा, पूल, प्रशिक्षण, पेंशन, पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा।
14.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	बजट से सम्बन्धित कार्य व अन्य राज्यों से प्राप्त ड्राफ्टस का कार्य।
15.	सहायक परिवहन आयुक्त (कर)	कर शाखा एवं प्रवर्तन संबंधी कार्य
16.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण, प्रकाशन, योजना विकास, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, भवन, ड्राइविंग ट्रेक, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट निर्माण, कार्पस फण्ड आदि।
17.	लेखाधिकारी (बजट)	बजट सम्बन्धी कार्य।
18.	लेखाधिकारी (निरीक्षण)	अधिनस्थ कार्यालयों के लेखा सम्बन्धित निरीक्षण कार्य।
19.	जिला परिवहन अधिकारी (मु.)	मार्ग खोलने संबंधी कार्य।
20.	मुख्य विधि सहायक	विधि शाखा से सम्बन्धित कार्य।
21.	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	मुख्य लेखाधिकारी द्वारा निर्देशित लेखा शाखा से सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं कार्य सम्पादन।
22.	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (रीजन स्तर पर पदस्थापित)	विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारित दायित्वों का निर्वहन और विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों के क्रियान्वयन के लिये रीजन स्तर पर प्रभारी अधिकारी के कार्य सम्पादन एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य।
23.	जिला परिवहन अधिकारी	विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारित दायित्वों का निर्वहन और विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी के कार्य सम्पादन एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य।
24.	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यों में निर्देशानुसार सहयोग।
25.	परिवहन निरीक्षक व उप निरीक्षक	मोटरयान कराधान अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित

- 4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख को सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम :	अभिलेख का प्रकार : अधिनियम एवं नियम
<ol style="list-style-type: none"> 1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 2. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 3. राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 4. राज. मोटर कराधान अधिनियम, 1951 5. राज. मोटर कराधान नियम, 1951 6. Raj. Regulation of Boating Act, 1956 7. Raj. Regulation of Boating Rules, 1956 	
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :	पता : परिवहन भवन, (मुख्यालय) सहकार मार्ग जयपुर।
केन्द्र व राज्य में संचालित मोटर वाहन पर लागू होते हैं जिनके अन्तर्गत वाहनों का पंजीयन, अनुज्ञापत्र जारी करना, वाहन चालकों को लाईसेंस आदि का कार्य व नियमन करना। कराधान अधिनियम विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर करारोपण से सम्बन्धित है।	दूरभाष :- 2740021 फैक्स : 2740573, 2740301, 2740326 ई.मेल : transport@rajasthan.gov.in वेबसाइट- www.transport.rajasthan.gov.in

5.1 नीति निर्धारण हेतु

सड़क सुरक्षा हेतु स्टेट रोडसेपटी कौंसिल का गठन किया गया है इसमें ट्रक, बस, टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का प्रावधान है। जिला स्तर पर यातायात प्रबन्धन समिति गठित है जिसमें सरकारी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्था/सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रक व बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि का मनोनयन करने का प्रावधान है।

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध जनता या जन प्रतिनिधि से/को परामर्श भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि हो तो व्यवस्था का विवरण :-

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से/को परामर्श के रूप में जिला यातायात प्रबन्धन समिति में भाग लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के रूप में व्यवस्था दी गयी है। यातायात सम्बन्धी नियमों पर जिला स्तर पर परामर्श हेतु जिला यातायात प्रबन्धन समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है इस समिति में जिले में यातायात के सुचारु संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा जन प्रतिनिधियों, एवं विशिष्ट जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है।

6.1 लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के प्रवर्गों के अनुसार विवरण।

जिला परिवहन अधिकारी के पास विभाग में पंजीकृत वाहनों का ब्यौरा (जिलेवार) ड्राइविंग लाईसेंस का रजिस्टर, परमिट, फिटनेस सम्बन्धित दस्तावेज का संघारण किया जाता है।

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणधीन
		लाईसेंस, रजिस्टर, पंजीयन रजिस्टर चालान आर.सी.आर., डी.सी.बी., लेजर, वाहनों पंजीयन, ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट, फिटनेस कर से सम्बन्धित दस्तावेज आदि	नागरिक अधिकार पत्र में दिये निर्देशों के अनुरूप	जिला परिवहन अधिकारी

7.1 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

परिवहन विभाग से सम्बन्धित निकायों के रूप में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व TOHAS कार्यरत है जिनका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

8.1 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : परिवहन विभाग, जयपुर

अपीलेट अधिकारी— आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।

राज्य लोक सूचना अधिकारी— अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी – उप परिवहन आयुक्त (यो.वि.)

लोक सूचना अधिकारी—

1 रीजन स्तर पर— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

2 जिला स्तर पर— जिला परिवहन अधिकारी

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'एक' पर उपलब्ध है)

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया

कर	—	जिला परिवहन अधिकारी	—	कराधान अधिकारी
परमिट	—	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	—	क्रियान्वयन अधिकारी
		जिला परिवहन अधिकारी	—	क्रियान्वयन अधिकारी

10.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

परिशिष्ट- 'दो' पर उपलब्ध है।

11. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उसके निर्धारण को पद्धति :

राज्य सरकार द्वारा विभाग के लिये स्वीकृत पदों के अनुरूप निर्धारण वेतनमान के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्रदान किये जाते हैं।

12.1 विभाग का बजट वर्ष 2011-2012

(रूपये लाखों में)

2041-वाहन कर (आयोजना भिन्न)	वर्ष 2010-11 (वास्तविक व्यय)	वर्ष 2011-12 (बजट)
001- निर्देशन एवं प्रशासन (02)- अध्यक्ष, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण	544.99 17.63	602.95 21.07
101- संग्रहण प्रभार 102- मोटर वाहन निरीक्षण	3853.00	3932.03 786.41
800- अन्य व्यय (01)- प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	101.94	114.83
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 800- अन्य व्यय (02)- राज. राज्य पथ परिवहन सेवाओं से राज. के लोक सभा सदस्यों की निशुल्क यात्रा हेतु सहायता	4.50	4.50
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय 80- सामान्य 051-निर्माण (029)- यातायात भवन एवं कम्प्यूटराईजेशन (यातायात भवनों का निर्माण) आयोजना	67.26	1464.55
3055- सड़क परिवहन 800- अन्य व्यय 01- राज. राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण हेतु। (12)-सहायतार्थ अनुदान/अंशदान इत्यादि।	3759.39	2500.00
3055- सड़क परिवहन 800- अन्य व्यय 05- निगम को डीजल पर वैट की अन्तर राशि का पुनर्भरण (12)-सहायतार्थ अनुदान।	1223.59	2000.00

13 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :

स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत 5 शिक्षित बेरोजगार युवकों को नगरीय/उप नगरीय सेवा का परमिट लेने पर 40 हजार रु. तक का अनुदान दिया जाता है।

14. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

15. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

समस्त प्रादेशिक, जिला परिवहन अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं एवं इनकी प्राप्ति के लिए निरीक्षण व उड़नदस्तों का गठन किया गया है जो कि प्रभावी रूप से चैंकिंग कर ओवरलोडिंग व परमिट अनियमितता पर नियंत्रण कार्यवाही करते हैं।

16.1 इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :

रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस परमिट जो कि जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।

17.1 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

विभागीय मैनुअल का प्रकाशन किया गया है एवं सभी परिवहन कार्यालय में एवं वेबसाइट (transport.raj.gov.in) पर भी उपलब्ध है, परिवहन विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन भी जारी किया जाता है।

18 अन्य उपयोगी जानकारियाँ :

नागरिक अधिकार पत्र का विभाग के द्वारा संशोधित प्रकाशन किया गया है।

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक पं. 10 (507) परि/पी.डी./2010/49495

जयपुर दिनांक:--2/6/14

कार्यालय आदेश

इस विभाग के पूर्व सम संख्यक आदेश दिनांक 25.10.2012 के अधिक्रमण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के तहत परिवहन विभाग के समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के लिए लोक सूचना अधिकारी एतद्वारा अभिहित किये जाते हैं।

इसी क्रम में उक्त अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत समस्त संभागीय अपर परिवहन आयुक्त उनके अधीन समस्त लोक सूचना अधिकारियों के लिए प्रथम अपील अधिकारी अभिहित किये जाते हैं।

इसी क्रम में मुख्यालय जयपुर के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत उपायुक्त (यो.वि.) को लोक सूचना अधिकारी अभिहित किया जाता है। मुख्यालय पर पदस्थापित सभी अधिकारीगण/शाखा प्रभारी उनसे संबंधित वांछित सूचना तत्काल उपायुक्त (यो.वि.) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध कराई जा सके।

उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत मुख्यालय हेतु अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को प्रथम अपील अधिकारी एतद्वारा अभिहित किया जाता है।



(मुकेश शर्मा)

परिवहन आयुक्त
एवं प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

49436 to 507
2/6/14

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय (मुख्यमंत्री जी) राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।

3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (आरटीआई प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त संभागीय अपर परिवहन आयुक्त राजस्थान।
9. समस्त अपर/संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
11. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।
13. नोटिस बोर्ड मुख्यालय।


संयुक्त शासन सचिव(मु0)

मुख्यालय स्तर पर

क्र.सं.	पद नाम	कार्यालय फोन नम्बर
1	अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)	0141-2740326
2	अपर परिवहन आयुक्त (नियम)	0141-2740042
3	अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)	0141-5194618
4	अपर परिवहन आयुक्त(रेल्वे)	
5	संयुक्त शासन सचिव (एम.आर.टी.ए)	0141-2744175
6	संयुक्त परिवहन आयुक्त (कर)	0141-5194609
7	उप परिवहन आयुक्त (प्रशा0)	0141-2740062
8	उप परिवहन आयुक्त (यो.वि0)	0141-27400573
9	उप परिवहन आयुक्त (नियम)	0141-5194610
10	उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)	
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	0141-5194608

संभागीय स्तर पर -

क्र.सं.	संभाग	पद नाम	कार्यालय फोन नम्बर
1	जयपुर	अपर परिवहन आयुक्त	0141-2708318
2	अजमेर	अपर परिवहन आयुक्त	0145-2787047
3	भरतपुर	अपर परिवहन आयुक्त	05644-260199

4	जोधपुर	अपर परिवहन आयुक्त	0291-2544191
5	उदयपुर	अपर परिवहन आयुक्त	0294-2474522
6	कोटा	अपर परिवहन आयुक्त	0744-2363316
7	बीकानेर	अपर परिवहन आयुक्त	0151-2226981

4.2 परिवहन रीजन स्तर पर -

क्र.सं.	परिवहन रीजन	पद नाम	कार्यालय फोन नम्बर
1	जयपुर (दक्षिण)	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0141-2708318
2	जयपुर (उत्तर)	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0141-5165151
3	जोधपुर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0291-2544191
4	उदयपुर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0294-2471522
5	कोटा	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0744-2363316
6	बीकानेर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	0151-2226981
7	अलवर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0144-2731335
8	अजमेर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	0145-2787047
9	पाली	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	02932-257445
10	चित्तौड़गढ़	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	01472-241292
11	दौसा	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	01427-223225
12	सीकर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	01572-248546

13	भरतपुर	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,	05644-260199
----	--------	---------------------------	--------------

4.3 परिवहन जिला स्तर पर -

क्र.सं.	परिवहन जिला	पद नाम	कार्यालय फोन नम्बर
1	कोटपूतली	जिला परिवहन अधिकारी,	01421-224156
2	जैसलमेर	जिला परिवहन अधिकारी,	02992-252519
3	बाड़मेर	जिला परिवहन अधिकारी,	02982-220615
4	राजसमंद	जिला परिवहन अधिकारी,	02952-220652
5	बांसवाड़ा	जिला परिवहन अधिकारी,	02962-224141
6	डूंगरपुर	जिला परिवहन अधिकारी,	02964-232581
7	झालावाड़	जिला परिवहन अधिकारी,	07432-232307
8	बारां	जिला परिवहन अधिकारी,	07453-230105
9	बून्दी	जिला परिवहन अधिकारी,	0747-2443420
10	रामगंजमंडी	जिला परिवहन अधिकारी,	07459-222424
11	श्रीगंगानगर	जिला परिवहन अधिकारी,	0154-2463432
12	हनुमानगढ़	जिला परिवहन अधिकारी,	01552-262202
13	धौलपुर	जिला परिवहन अधिकारी,	05642-224577
14	नागौर	जिला परिवहन अधिकारी,	01582-240540
15	डीडवाना	जिला परिवहन अधिकारी,	01580-222131
16	ब्यावर	जिला परिवहन अधिकारी,	01462-225841
17	टोंक	जिला परिवहन अधिकारी,	01432-247588
18	सिरोही	जिला परिवहन अधिकारी,	02972-221688
19	जालौर	जिला परिवहन अधिकारी,	02973-222398
20	भीलवाड़ा	जिला परिवहन अधिकारी,	01482-260444
21	प्रतापगढ़	जिला परिवहन अधिकारी,	01478-220699
22	सवाई माधोपुर	जिला परिवहन अधिकारी,	07462-220274
23	करौली	जिला परिवहन अधिकारी,	07464-251020

24	झुंझुनूं	जिला परिवहन अधिकारी,	01592-250460
25	चूरु	जिला परिवहन अधिकारी,	01562-250950
26	आबूरोड़	जिला परिवहन अधिकारी,	02974.-226670
27	बालोतरा	जिला परिवहन अधिकारी,	02988-225750
28	भिवाड़ी	जिला परिवहन अधिकारी,	01493-230047
29	चौमू	जिला परिवहन अधिकारी,	01423-224570
30	किशनगढ़	जिला परिवहन अधिकारी,	01463-245062
31	फलौदी	जिला परिवहन अधिकारी,	02925-222020
32	सुजानगढ़	जिला परिवहन अधिकारी,	01568-210444
33	रतनपुर (कर संग्रह केन्द्र)	जिला परिवहन अधिकारी,	9461674066
34	शाहजहाँपुर (कर संग्रह केन्द्र)	जिला परिवहन अधिकारी,	01494-235246
35	नोखा (बीकानेर)	जिला परिवहन अधिकारी	फोन सुविधा नहीं है।
36	नोहर (हनुमानगढ़)	जिला परिवहन अधिकारी	94143-43117
37	भीनमाल (जालौर)	जिला परिवहन अधिकारी	94141-31177
38	शाहपुरा (जयपुर)	जिला परिवहन अधिकारी	94143-00694
39	शाहपुरा (भीलवाडा)	जिला परिवहन अधिकारी	9887507224
40	दूदू (जयपुर)	जिला परिवहन अधिकारी	94133-10835
41	केकडी (अजमेर)	जिला परिवहन अधिकारी	94142-48538